

न्यायालय श्री मानु सपथ्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०१०

डी. एस. चौहान
आज दि. 14/10/15 को
स्तुत

रजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



निग | 3354/II/15

50

बैसबुआ चमार तनय मन्थारिया चमार निवासी कलावल जेरवाठा तहसील नागौद
जिला सतना म०१०१

बनाम

श्री मती धीनया मुन्नी मन्थारिया वतनी रामकिशोर चमार निवासी कलावल
जेरवाठा निवासी गिरवारा तहसील गुनौर जिला वन्ना म०१०

गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
महोदय नागौद के प्रकरण क्रमांक 111/अपील /
2013-14 आदेश दिनांक 02.09.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०१० भू. राजस्व
सीढता 1959 ई०

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

मान्यवर,

निगरानी कर्ता की निगरानी निम्नानुसार है

प्रकरण के सीक्षित तथ्य

1- यह कि निगराकार द्वारा विचारण न्यायालय नायव तहसीलदार महोदय
वृत्त जसो तहसील नागौद जिला सतना के समक्ष भूमि खसरा क्रमांक 9/1A,
88/1क, 223/1A, 231/1क, 304/1क कुल रकवा 8 वोधा उविषवा
स्थित ग्राम कलावल जेरवाठा पटवारी हल्का वांसी तहसील नागौद जिला
सतना का अपने नाम नामान्तरण एवं बटनवारा कराये जाने हेतु अन्तर्गत
धारा 178, 110 कानून माल अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था,
जिसका प्रकरण क्रमांक 62अ27/2009-10 है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

क्र. 2

दि. 14/10/15
बैसबुआ चमार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3357-2/15

जिला - झांसी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....S.O.O..... <u>नागौर</u> के प्रकरण क्रमांक111/अपील/13/15... में पारित आदेश दिनांक 25.9.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <u>झांसी</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18/10/19 को <u>झांसी</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	